बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना– 15, दिनांक–

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1887 दिनांक 29.05.2018 द्वारा श्री ज्ञान कुमार राम (GAYAN KUMAR RAM) (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1159/11, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, सासाराम, रोहतास को 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी–I, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें दिनांक 24.05.2018 को न्यायिक हिरासत में (आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना) भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 022/2018 दिनांक 24.05.2018, धारा–7 भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज किये जाने की सूचना प्राप्त है।

श्री राम को रंगे हाथ घूस लेते दिनांक 24.05.2018 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क), (ग) एवं नियम–9(2) के प्रावधानों के तहत् उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 24.05.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत् अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–16/2018–सा0प्र0– 8325 /पटना, दिनांक– 22-6-18

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/श्री ज्ञान कुमार राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1159/11, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, सासाराम, रोहतास/संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को निगरानी विभाग के पत्रांक 1887 दिनांक 29.05.2018 द्वारा प्राप्त प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि श्री राम के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 15983 दिनांक 14.12.2017 के आलोक में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) गठित कर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि विषयांकित मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

22/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

R.T Sir/Sec-2